रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 386] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 1997/आश्विन 8, 1919
No. 386] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 1997/ASVINA 8, 1919

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(सड़क पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1997

सा. का. नि. 570(अ).—केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा किसी राष्ट्रीय राजमार्ग के खंडों अथवा पुलों अथवा दोनों के प्रयोग के लिए शुल्क की दर निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय राजमार्ग (शुल्क की दर) नियमावली, 1997 होगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषा** : इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" का अभिप्राय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) से है ।

(ख) "यांत्रिक वाहन" का अभिप्राय ऐसे किसी माल से लदे अथवा बिना माल के वाहन से है जो अपनी स्वयं की शक्ति से चालित हो । इसमें मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (28) में यथा-परिभाषित मोटर वाहन भी शामिल है ।

(ग) "पुल" का अभिप्राय यथास्थिति एक स्थायी पुल अथवा अस्थायी पुल से है ।

(घ) "राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड अथवा स्थायी पुल अथवा अस्थायी पुल" का अभिप्राय राष्ट्रीय राजमार्ग की उस निरंतर लम्बाई अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थायी पुल अथवा अस्थायी पुल से है जैसाकि केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया और जिस पर शुल्क वसूल किया जाएगा ।

3. दर : (1) राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी खंड पर फैरी, स्थायी पुलों, अस्थायी पुलों या सुरंगों के प्रयोग के संबंध में अथवा पुल अथवा दोनों के प्रयोग के संबंध में उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए शुल्क की दर और इस प्रकार के शुल्क की वसूली की अवधि केन्द्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के जरिए निर्धारित करे और वसूले । यह निर्धारण और वसूली राष्ट्रीय राजमार्ग के ऐसे सम्पूर्ण खंड अथवा ऐसे खंड के भाग अथवा पुल अथवा दोनों के निर्माण, अनुरक्षण और प्रबंधन कार्य में शामिल व्यय तथा उन पर यातायात की मात्रा और वाहन प्रचालन लागतों को ध्यान में रखकर की जाए ।

(ii) अगर वरिष्ठ उप सचिव के पद पर योग्य अधिकारी उपलब्ध नहीं है जो निदेशक (प्रशिक्षण) के पद पर न्यूनतम 3 वर्ष की नियमित सेवा के साथ निदेशक (प्रशिक्षण) पद पर स्थायी नियमित व्यक्ति।

(iii) अगर ऊपर बताए गए दोनों पदों में कोई योग्य अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो उप सचिव के पद पर अथवा उप सचिव के समतुल्य पद पर नियुक्त व्यक्ति जो उक्त पद पर 5 वर्ष से नियुक्त हो तथा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखता हो।

[फा. सं. ए-12023/6/97/पी ई-I]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :

मूल विनियम सा. का. नि. 167(अ) दिनांक 20 मार्च, 1991 के तहत भारत सरकार ने राजकीय पत्र में प्रकाशित हुए तथा इनको सा. का. नि. सं. 500 (अ) दिनांक 8 जुलाई, 1993 के द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 1997

G. S. R. 568(E)—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Madras Port Trust (Recruitment of Heads of Departments) (Amendment) Regulations, 1997 made by the Board of Trustees for the Port of Madras and set out in the schedule annexed to this notification.

2 The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

MADRAS PORT TRUST

Madras Port Trust (Recruitment of Heads of Departments) (Amendment) Regulations, 1997

In exercise of the powers conferred under Section 20 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Madras Port Trust Board hereby makes the following Amendment Regulations:

1. Short Title:

These Regulations may be called the Madras Port Trust (Recruitment of Heads of Departments) (Amendment) Regulations, 1997.

2. In the Madras Port Trusts (Recruitment of Heads of Departments) Regulations, 1991, the following amendments shall be made:

In Column (9) of the Statement relating to the method of recruitment to the post of Secretary attached as Schedule to the said Regulations, the following shall be substituted against the existing clauses under the heading "By Promotion":

"BY PROMOTION:

(i) The Officer with a minimum of 3 years regular service in the post of Senior Deputy Secretary.

(ii) If there is no eligible Officer in the post of Senior Deputy Secretary, the permanent regular incumbent of the post of Director (Training) with a minimum of 3 years regular service in the post of Director (Training).

(iii) If there is no eligible Officer in both the aforesaid posts, then promotion from Officers holding the post of Deputy Secretary or posts analogous to Deputy Secretary who possess the prescribed educational qualification with a service of 5 years in the post.

[F.No. A-12023/6/97/PEI]

K.V. RAO, Jt. Secy.

Foot Note :

Principal Regulations were published in the official Gazette of India vide G.S.R. No. 167 (E) dated the 20th March, 1991 and subsequently amended vide G.S.R. No. 500 (E) dated the 8th July, 1993.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 – 1997